राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सॉंख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः– एफ ( )/डीईएस/संगणक/अनु.नियुक्ति/ 1781 दिनांकः 21\9\21

कार्यालय आदेश

राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अनुसरण में निम्नांकित आवेदकों को वित्त विभाग की अधिसूचना एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार संगणक पद की पे मेट्रिक्स लेवल–8 में **फिक्स पारिश्रमिक रूपए 18,500/– प्रतिमाह** पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में संगणक के पद पर नियुक्त किया जाकर इनका पदस्थापन निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	विभाग / कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	श्री विध्यराज सिंह तोमर	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सांगोद, कोटा	रिक्त पद पर
2	श्री ऐश्वर्य बिन्नानी	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, बीकानेर	रिक्त पद पर
3	श्री मुकेन्द्र सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, रतनगढ, चुरू	रिक्त पद पर
4	श्री हेमन्त कुमार शर्मा	मुख्य आयोजना अधिकारी, झुन्झुनू	रिक्त पद पर
5	श्री राजकुमार	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विराटनगर, जयपुर	रिक्त पद पर
6	श्री अपूर्व पारीक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पावटा, जयपुर	रिक्त पद पर

<u>नियुक्ति की शर्ते निम्न प्रकार हैं:–</u>

1. नियुक्ति उसी स्थिति में मान्य होगी जिसके लिए इनको राजस्थान सेवा नियम 9 एवं 10 के अन्तर्गत मेडिकल ज्यूरिस्ट एवं अन्य समकक्ष राजकीय चिकित्सा अधिकारी, जो कि जिला स्तर का चिकित्सा अधिकारी हो, से अपने स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण–पत्र (Fitness Certificate) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर कार्यग्रहण के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. कार्यग्रहण के समय इनको Attestation Form (Police Verifaction) सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

3. इनको राजस्थान असैनिक सेवाऐं (आचरण) नियम–1971 के नियम 21 (1) के अन्तर्गत अपनी चल–अचल सम्पत्ति के विषय में विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची–III) में नियुक्ति प्राधिकारी को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने की दिनांक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

4. इनकी नियुक्ति तब ही वैध मानी जावेगी जब इनके चरित्र की जाँच सही पाई जावेगी।

5. इनको यह भी लिखित में देना होगा कि उनके द्वारा इस पद पर नियुक्ति से पूर्व किन–किन विभागों/ कार्यालयों में किस–किस पद के लिये आवेदन किये हुए हैं तथा किन–किन शैक्षणिक परीक्षा हेतु आवेदन किये हुये है।

6. कार्यग्रहण से पूर्व में इन्हें अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को मूल में प्रस्तुत करने होंगे। जिन्हें वे देखने के उपरान्त वापस कर देंगे।

7. इनको कार्यग्रहण करने के पश्चात् भविष्य में किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

8. इनकी सेवाऐं किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं और यदि ये राज्य सेवा से त्याग पत्र देना चाहें तो इसके लिए इनको एक माह का नोटिस/सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।

9. इन्हें कार्यग्रहण करने से पूर्व केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय में सेवारत नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. इनका राजस्थान के किसी भी जिले में पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

11. इनको प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता व्यय आदि देय नहीं होगा।

12. कार्मिक (क–2) के परिपत्रादेश क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 9–6–2003 के तहत इनको नई नियुक्ति होने के फलस्वरूप इन पर अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।

13. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27–2–2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं किया गया तो यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

14. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम शाखा) के मेमोरेण्डम एफ.13(1)एफ. डी./रूल्स/2003 दिनांक 27–3–2004 के द्वारा राज्य सेवा में नवनियुक्त कर्मचारियों को जो दिनांक 1–1–2004 या इसके पश्चात् नियुक्त हुए हैं उन्हें नए अंशदान पेंशन नियमों की परिधि में नियुक्त किया जाता है। परिवीक्षाधीन अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफ.डी./(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कटौतियां होगी।

15. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त दिनांक 1–1–2004 तथा उनके पश्चात् नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्तें नियमों एवं परिपत्र आदि के द्वारा लगाए गए प्रावधान इन पर बाध्यकारी होंगे।

16. कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं.7(2)कार्मिक/क–2/2005 दिनांक 20–1–06 के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो परिवीक्षाधीन अवधि में विनिर्दिष्टानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

17. इन्हें अन्य भत्ते तथा अन्य लाभ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार तथा समय–समय पर परिवर्तित नियमों के अनुसार देय होंगे।

18. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा और कलेण्डर वर्ष से कम अवधि में पूर्ण वर्ष के सेवा माह की अवधि के अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय होगा।

19. इनकी नियुक्ति कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 7 (1)(डी.ओ.पी.) क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के तहत दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् बच्चों की संख्या में वृद्धि के अध्यधीन मान्य होगी।

20. पदस्थापन आदेश की तालिका के क्र.सं. संख्या 03 पर अंकित श्री मुकेन्द्र सिंह द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नही करने तक इन्हें न तो स्थाई किया जायेगा

और न ही संगणक पद की नियमित पे-मेट्रिक्स लेवल में वेतन नियमितिकरण किया जावेगा।

यदि उपरोक्त शर्ते आवेदक को स्वीकार हैं तो इन्हें नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे, जिसके लिये आवेदक को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नही की जावेगी।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव (आर वी) मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. संबंधित कार्यालय...।
6. संबंधित आवेदक श्री ....।
7. गोपनीय शाखा/निजी/रक्षित पत्रावली।

(आकाश पाठक)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)